एक नजर में

बैतूल में राज्य का पहला कंजर्वेशन रिजर्व ताप्ती

भोपाल. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि राज्य के वन क्षेत्र को बैतूल में ताप्ती के रूप में पहले कंजर्वेशन रिजर्व की सौगात मिल रही है. डॉ यादव ने अपने बयान में कहा कि हमारे वन क्षेत्र के लिए नई उपलब्धि है कि बैतूल का पहला कंजर्वेशन रिजर्व, ताप्ती के नाम से बनाया जा रहा है. यह कदम वनवासी, जनजातीय एवं जंगलों के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. ये राज्य की खूबसूरती है कि यहां जंगलों में प्रकृति के साथ प्रदेश के जीने का अनूठा संयोग भी है. कंजर्वेशन रिजर्व राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जैसे बड़े संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बफर जोन या गलियारे के रूप में काम करते हैं. ये व्यवस्था वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत दी गई है. कंजर्वेशन रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण के नियम लागू होते हैं, लेकिन स्थानीय आदिवासियों की आजीविका पर प्रतिबंध न्यूनतम होते हैं.

नाम परिवर्तन पर बवाल मेयर ने गठित की समिति

इंदौर. चंदन नगर क्षेत्र में हिन्दू नामों वाली गलियों और मोहल्लों के नाम बदलकर मुस्लिम नाम रखने का मामला गरमा गया है. इस पर मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने सख्ती दिखाते हुए तीन सदस्यीय जाँच समिति गठित की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषी अफसरों और संबंधित ठेकेदार पर कठोर कार्रवाई होगी. मामला तब सामने आया जब चंदूवाला रोड, आम वाला रोड और मिश्रीवाला रोड पर नए नामों वाले बोर्ड लगा दिए गए. पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने मेयर को पत्र लिखकर बोर्ड हटाने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की माँग की. इसके बाद रिमूवल गैंग ने मौके पर पहुँचकर अवैध बोर्ड हटा दिए. शुरू में पार्षद फातिमा खान पर प्रकरण दर्ज करने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में सामने आया कि अधिकारियों की जानकारी और अनुमति के बिना यह संभव नहीं था. मेयर भार्गव ने कहा कि बिना महापौर परिषद की मंजूरी बोर्ड बदलना अवैध है. प्रथम दृष्टि में उपयंत्री और कार्यपालन यंत्री की लापरवाही सामने आई है. समिति को तीन दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है. साथ ही कमिश्नर को भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. भार्गव ने कहा कि इस कृत्य से नगर निगम को आर्थिक नुकसान हुआ है और एक पार्षद द्वारा सीधे ठेकेदार से संपर्क कर बोर्ड लगवाने की भी जाँच होगी.

काफिला क्यों लुटा था, सच सामने है

कमलनाथ-दिग्विजय विवाद पर डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंज

कांग्रेस को बुढ़ापे में बच्चा रूपी सरकार मिली, लेकिन चूम-चूम कर मार डाला

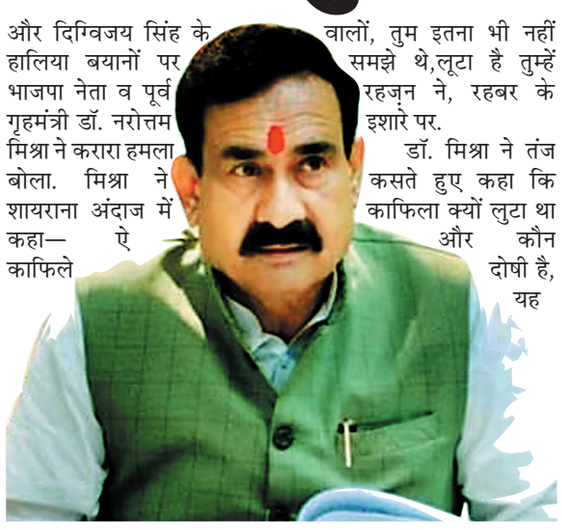

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 25 अगस्त. मध्यप्रदेश की राजनीति में एक बार फिर 2020 में कांग्रेस सरकार गिरने का मुद्दा गरमा गया है.

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हालिया बयानों पर भाजपा नेता व पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने करारा हमला बोला. मिश्रा ने शायराना अंदाज में कहा— ऐ काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझे थे,लूटा है तुम्हें रहज़न ने, रहबर के इशारे पर.

डॉ. मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि काफिला क्यों लुटा था और कौन दोषी है, यह अब सामने आ गया है. कांग्रेस को बुढ़ापे में बच्चा रूपी सरकार मिली थी, लेकिन इन्होंने उसे चूम-चूम कर ही मार डाला.

डॉ. मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकार गिरने की वजह कांग्रेस की अंदरूनी कलह थी. उन्होंने तंज कसा— हम तो पहले से कहते थे कि कमलनाथ नहीं, बल्कि दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे थे. यही कारण था सरकार गिरने का. उस समय मंत्री व वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी यही बात कही थी, लेकिन कमलनाथ की आंखों पर दिग्विजय ने पट्टी बांध रखी थी. आज उन्हें सच्चाई याद आ रही है. उन्होंने कमलनाथ से सवाल पूछा कि जब आप सच की राह पर चल ही दिए हैं, तो यह भी बताइए कि डेढ़ साल की सरकार में दिग्विजय सिंह ने आपसे कितने भ्रष्टाचारी फैसले करवाए.

मिश्रा ने कहा कि अगर ऐसा नहीं बताया गया तो जनता मान लेगी कि दोनों नेता केवल एक-दूसरे पर ठीकरा फोड़कर गुमराह कर रहे हैं. अंत में उन्होंने कटाक्ष किया कि असलियत यही है कि कांग्रेस की नाव डुबोने का काम कप्तान ने ही छेद कर किया था. डॉ मिश्रा ने कहा कि इंतजार कीजिए फिल्म अभी बाकी हव.

> यहां बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने एक पोडकास्ट में तत्कालीन कमलनाथ सरकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी को लेकर खुलासे किये थे. उन्होंने सरकार गिरने के लिये कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बने क्लेश की स्थिति को भी जिम्मेदार माना था. इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी एक्स पर कटाक्ष किया था, उन्होंने कहा था कि मप्र में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजी की गई है. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन सच है कि व्यक्तिगम महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं. इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायको को तोड़ा और हमारी सरकार गिरायी.

45 साल का प्रेम है, दोनों छोटे-बड़े भाई : जीतू

वहीं, दूसरी तरफ सोमवार को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लेकर की गई बयानबाजी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 45 साल का प्रेम है, दोनों छोटे-बड़े भाई हैं. पुरानी बातों का कोई औचित्य नहीं है. दोनों ही अपनी केमिस्ट्री है. हमें अब भविष्य देखना है, हमारी सरकार कैसे बने, इस पर हमारा फोकस है.

जिलों में अगले 24 घंटे तक गरज-चमक के साथ बारिश

भोपाल, 25 अगस्त. मप्र के जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान गरज-चमक के साथ बारिश के आसार बने हैं. मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार कोशाजापुर, आगर, सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, शिवपुरी, मुरैना, गुना, राजगढ़, टीकमगढ़, छतरपुर सहित जिलों में बारिश होने की संभावना बनी है. इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेशभर में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा. झाबुआ, अलीराजपुर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, मालवा, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, सहित जिलों में भी बारिश हो सकती है. इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी. प्रदेश में मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के सक्रिय होने के चलते बारिश का दौर जारी है.

मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्राफ़ माध्य समुद्र तल पर बीकानेर, जयपुर, आगरा, प्रयागराज, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, दीघा से होकर दक्षिण-पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व तक विस्तृत है.

राजस्थान पर बने ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण

एक ट्रफ़, दक्षिण हरियाणा और संलग्न उत्तर-पूर्वी राजस्थान पर बने ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण से दक्षिण उत्तर प्रदेश, उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों से होकर, ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों से दूर, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवातीय परिसंचरण के केंद्र तक माध्य समुद्र तल से 1.5 और 3.1 किमी की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है. पश्चिमी विक्षोभ माध्य समुद्र तल से 3.1 और 9.6 किमी की ऊंचाई के मध्य एक ट्रफ़ के रूप मे 70ए पूर्व देशांतर से 28ए उत्तर अक्षांश के उत्तर में माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर अवस्थित है.

भारतीय प्रतिभाएं विदेश न जाएं : शिवराज सिंह

आईआईएसईआर का 12वां दीक्षांत समारोह संपन्न

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 25 अगस्त. भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ. इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.

चौहान ने भारत के उज्ज्वलतम प्रतिभाओं को देश में ही बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों से भावुक अपील की कि वे विदेशों में अवसर तलाशने के बजाय भारत के विकास और नवाचार प्रणाली में सक्रिय रूप से योगदान दें. उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि सिलिकॉन वैली जैसे वैश्विक तकनीकी केंद्रों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रतिभाएं काम कर रही हैं. वे अपनी योग्यता और कौशल का उपयोग भारत के हित में करें. उन्होंने ब्रेन ड्रेन की प्रवृत्ति को उलटने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि युवा देश में ही सफल करियर और उद्यम खड़े करें. चौहान ने कहा कि स्थानीय उत्पादों और व्यवसायों के समर्थन की आवश्यकता है. जब हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाते हैं, तो इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए रोजगार भी मिलता है.

थाने में शान्ति समिति की बैठक हुई

सिरमौर 25 अगस्त, आगामी त्यौहारों को भाईचारे तथा शान्ति पूर्वक मनाने के लिए सिरमौर थाने में शान्ति समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

थाना प्रभारी दीपक तिवारी ने कहा आगामी दिनों में हिन्दुओं और मुसलमानो के त्यौहार साथ होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिन्दू मुस्लिम सभी आपस में भाई हैं।अपने अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हुए दूसरों के धर्म का भी सम्मान करते हुए भाई चारे के साथ मनाएं। डीजे की ध्वनि बहुत तेज न करें। जहां पुलिस बल की जरूरत हो लिए गए मोबाइल नम्बरों पर सूचना दें। उन्होंने गणेश प्रतिमा के लिए लगने वाले पण्डालों की जानकारी लिया। विद्युत लाइन से छेड़छाड़ न करने की हिदायत देते हुए नशे से दूर रहने की समझाइश दिया। पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष बृजेश पाण्डेय तथा वर्तमान नगर परिषद उपाध्यक्ष विजय सोनी ने भी अपने-अपने विचार रखे। बैठक में बड़ी संख्या में नगरवासी तथा पंचायत प्रतिनिधि एवम पत्रकार विष्णु नारायण शुक्ला एवं पत्रकार बीरेंद्र प्रसाद मिश्र भी उपस्थित रहे।

खड़ी कार से डेढ़ लाख की अंग्रेजी शराब बरामद

सागर. मध्य प्रदेश के सागर जिले के आगासौद थाना अंतर्गत मंडी बामौरा पुलिस चौकी क्षेत्र के धंसरा गांव में पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त की है. पुलिस ने दबिश देकर एक सफेद रंग की स्कार्पियो कार (क्रमांक एमपी 04 टीए 2957) से शराब बरामद की. तलाशी में कार से अलग-अलग ब्रांड की कुल 153 लीटर अंग्रेजी शराब की 17 पेटियां मिली.

नाम परिवर्तन सूचना

मै संजय तोमर पिता श्री शक्ति प्रसाद तोमर उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम लटागांव तह.मैहर जिला मैहर म.प्र. का होकर बहलफ सूचित कर रहा हूं कि मेरी अंकसूची में मेरा नाम संजय कुमार कचेर पिता श्री शक्ति प्रसाद कचेर दर्ज है. जबकि मेरे आधार कार्ड,पैन कार्ड में संजय तोम पिता श्री शक्ति प्रसाद तोमर दर्ज है जो कि सत्य एवं सही है मेरी जन्मतिथि 11.12.1979 है मेरा व्यवसाय शासकीय नौकरी है. अतः मेरा सरनेम कचेर के स्थान पर तोमर किया जाए. अतः अब मुझे संजय कुमार कचेर पिता श्री शक्ति प्रसाद कचेर के स्थान पर संजय तोमर पिता श्री शक्ति प्रसाद तोमर के नाम से जाना पहचाना एवं संबोधित किया जाए एवं दस्तावेजों में दर्ज किया जाए.

रक्षा मंत्री राजनाथ आज इंदौर पहुंचेंगे

तैयारियों को लेकर बैठक

इंदौर,26 अगस्त. केन्द्रीय रक्षा मंत्री का प्रस्तावित दो दिवसीय दौरे को लेकर प्रशासन, पुलिस और एयरपोर्ट अधिकारियों की बैठक हुई.

बैठक में आवागमन, आवास, सुरक्षा, आकस्मिक चिकित्सा सहित अन्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने पर चर्चा की गई. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथसिंह का 26 और 27 अगस्त को इंदौर में दो दिवसीय दौरा प्रस्तावित है.

> केंद्रीय रक्षा मंत्री सिंह 26 अगस्त शाम को इंदौर एयरपोर्ट आएंगे. एयरपोर्ट से सीधे अंबेडकर नगर महू जाएंगे. रात्रि विश्राम महू मिलिट्री कॉलेज में ही करेंगे. अगले दिन सुबह वापस दिल्ली लौट जाएंगे. रक्षा मंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर एडीएम रोशन राय ने इंदौर एयरपोर्ट पर प्रशासन, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 26 और 27 अगस्त को प्रस्तावित दौरे की विस्तृत जानकारी दी गई है.

500 ग्राम ब्राउन शुगर और 48 लाख बरामद

इंदौर. द्वारकापुरी इलाके में लंबे समय से नशे का कारोबार कर रही महिला सीमा नाथ पति महेश टोपी को क्राइम ब्रांच ने रविवार शाम दबिश देकर गिरफ्तार किया. कार्रवाई के दौरान महिला के परिजनों और पुलिस में झड़प हुई, जिसके बाद अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा. सीमा की झोपड़ी से 500 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर और करीब 48 लाख की नकदी जब्त हुई. पुलिस का कहना है कि यह रकम नशे के धंधे से कमाई गई थी. सीमा का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और गिरफ्तारी से बचने वह अक्सर पुलिस पर झूठे आरोप लगाने की धमकी देती थी.

कार्यालय नगर परिषद मनगवां जिला - रीवा (म0प्र0)
Office, Nagar Parishad Mangawan Dist. Rewa (M.P.)
Address:-Ward No.09 Mangawan Dist.Rewa M.P.486111
Email:-cmomangava@mpurban.gov.in

क्रमांक / 395 / न.प. / 2025 — मनगवां दिनांक - 22.08.2025

-: सूचना :-

नगर परिषद् मनगवां जिला रीवा मध्यप्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से भवनों एवं भूमियों के कर योग्य सम्पतिकर मूल्य का निम्नानुसार शुल्क / दरों का निर्धारिण किया गया है।

1. भवनों एवं रिक्त भूमि / प्लाट्स के कर योग्य सम्पत्ति मूल्य पर लागू सम्पत्तिकर की दरें :-

क्र.	वार्षिक कर योग्य सम्पत्ति मूल्य	सम्पत्तिकर की दर (कर योग्य सम्पत्ति मूल्य का प्रतिशत)
1	4800 तक	सम्पत्तिकर से मुक्त
2	4801-10000	6 प्रतिशत
3	10001 से 20000 तक	7 प्रतिशत
4	20001-30000 तक	8 प्रतिशत
5	30001 - 50000 तक	9 प्रतिशत
6	50001 से अधिकतम	10 प्रतिशत

2. कर योग्य सम्पत्ति मूल्य का तुलनात्मक पत्रक :-

क्र.	वार्ड में भवन की स्थिति	विलीय वर्ष 2021-22 के आधार पर वार्षिक भाडा मूल्य निर्धारण वर्ग. मी. पर	विलीय वर्ष 2025-26 कलेक्टर गाईड लाइन के आधार पर कार्यालय पर कर योग्य सम्पत्ति मूल्य का निर्धारण वर्ग मी.
1	वाणिज्यिक भवन	95	154
2	वाणिज्यिक भवन (सीमेन्ट / टीन शेड)	-	95
3	वाणिज्यिक भवन (अन्य आशिक पक्के एवं कच्चे भवन)	-	79
4	वाणिज्यिक भूमि	25	41
5	आवासीय भवन (मुख्य मार्ग)	72	116
6	आवासीय भवन (मुख्य मार्ग से हटकर)	47	76
7	आवासीय भवन (सीमेन्ट / टीन शेड	54	85
8	आवासीय भवन (अन्य आंशिक पक्के) एवं कच्चे भवन	43	70
9	आवासीय भूमि	2	17

3. विभिन्न वार्डो के अंतर्गत आने वाले मोहल्लों, कॉलोनी, रोड आदि के रेट जोन्स का विवरण

1. मुख्य मार्ग पर 2. मुख्य मार्ग से हटकर 3. मुख्य मार्ग व्यावसायिक

मुख्य मार्ग पर :- मेन नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग या राज्य शासन द्वारा निर्मित सड़क के किनारे मुख्य स्थित भवन / भूमि

मार्ग से हटकर :- नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत उपरोक्त बिन्दु क्र. -1 के अलावा शेष स्थल पर निर्मित भवन / भूमि।

मुख्य मार्ग व्यावसायिक :- एनएस रोड़, गुढ़ रोड़ मनगवां रोड़, मनगवाँ बस्ती रोड़ न्यायालय रोड़, एनएच से मनगवा बस्ती

4- निकाय क्षेत्र में संचालित पेट्रोल पम्प को पृथक से सम्पत्तिकर की वार्षिक भाडा मूल्य, गणना दर - आर.बी.सी. 335 sqm. टीन सेड 235 sqm. कच्चा 130 sqm. खुली भूमि 42 sqm. प्रस्तावित रहेगी। 5. वार्ड के अंदर ऐसे व्यावसायिक उपयोग भवन जो सामान्यतः व्यवसाय से पृथक श्रेणी से प्रदर्शित करेगें उन पर मुख्य मार्ग व्यावसायिक की दरें लागू होगी। 6. वर्ष 2025-26 में भवन एवं भूमियों स्वामियों द्वारा विवरणी तथा सम्पत्ति कर की दरों का भुगतान करने की तारीख का निर्धारण 30 नवम्बर 2025 तक नियत रहेगा। 7. सम्पत्ति कर की स्वनिर्धारण विवरणी नियत तिथि तक सम्पत्ति कर जमा करने पर माह अप्रैल से जुलाई तक में 4 प्रतिशत की छूट, अगस्त से नवम्बर तक में 2 प्रतिशत तक की छूट प्रस्तावित है, वहीं 1 सितम्बर से जनवरी तक में 4 प्रतिशत अधिभार एवं फरवरी से मार्च तक में 6 प्रतिशत अधिभार अधिरोपित है। 8. पूर्व वित्तीय वर्ष के सम्पत्ति कर एवं अन्य बकाया करों पर 10 प्रतिशत का अधिभार अधिरोपित है। 9. मुख्य मार्ग से पृथक स्थित भवनों पर 10 प्रतिशत सम्पत्तिकर योग्य भाडे पर पृथक छूट प्रस्तावित है। 10. पुरानी बाजार मनगवाँ बस्ती में व्यावसायिक क्षेत्र जोन दरों में प्रस्तावित राशि में 20 प्रतिशत पृथक छूट देय रहेगी। 11. वार्ड के अंदर / सकरे मार्ग पर स्थित भवनों पर 20 प्रतिशत सम्पत्तिकर योग्य भाडे पर पृथक छूट प्रस्तावित है। 12. निकाय क्षेत्र में भूतल से पृथक निर्मित भवन जैसे कि प्रथम तल पर प्रस्तावित दरो का 20 प्रतिशत छूट द्वितीय तल पर 30 प्रतिशत छूट, तृतीय तल पर 40 प्रतिशत तक की छूट प्रस्तावित है। 13. निकाय, क्षेत्र के वेयर हाऊस में 235 SQM, कवर क्षेत्र 0.42 SQM खुले क्षेत्र की दर पृथक से निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। 14. निकाय क्षेत्र में बने सभी शासकीय भवन, कार्यालय भवनों, तथा ऐसे विद्यालय जो ट्रस्ट के नाम से संचालित है। उन पर सेवा प्रभार वर्ष 2025-26 से प्रस्तावित है। जो तीन स्लेप सेवा प्रभार भी है 30 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत उसमें से द्वितीय स्लेप दर 50 प्रतिशत प्रभारित की जानी है। यानी प्रस्तावित व्यावसायिक टैक्स का 50 प्रतिशत देय रहेगा। 15. विवाह घर जो निकाय क्षेत्र में हैं उन पर आरसीसी क्षेत्र में 300SQM टीन सेड पर 200SQM खुले क्षेत्र पर 100SQM की दरें प्रस्तावित हैं। 16. निकाय क्षेत्र में विद्युत सब स्टेशन तथा कार्यालय पर आरसीसी निर्माण में 335 SQM तथा सब स्टेशन में 235 SQM तथा खुली भूमि पर 130 स्क्वेयर्ड की दरें प्रस्तावित रहेगी।

❖ सामेकित कर सभी करदाताओं से समेकितकर 120/- रू. प्रति वर्ष लिया जावेगा ❖ शिखा उपकर नगर पालिका अधिनियम 127 (ण) के अन्तर्गत राज्य शासन के आदेश दिनांक 15.03.2000 के अनुसार व्यवसायिक/आवासीय भवन एवं भूमियों के कर योग्य सम्पतियों के मूल्य (वार्षिक वाडा मूल्य) का 1 प्रतिशत लिया जावेगा। ❖ नगरीय विकास उपकर प्रमुख सचिव नगरीय विकास विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 11 - 166 / 2010 / 18-3 भोपाल दिनांक 15.11.2000 के परिपालन में व्यवसायिक भवन एवं भूमियों के कर योग्य सम्पत्ति मूल्य (वार्षिक भाडा मूल्य) का 2 प्रतिशत एवं आवासीय भवन एवं भूमियों के कर योग्य सम्पत्ति मूल्य (वार्षिक भाडा) का 1 प्रतिशत लिया जावेगा। ❖ अन्य नियम व शर्ते कार्यालय के राजस्व शाखा में देखी जा सकेगी। ❖ निकाय क्षेत्रान्तर्गत डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन एवं कचरा हटाने, कचरा डिस्चार्ज करने की नवीन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित की जाती है - (वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये माह अगस्त 2025 से प्रभावी)

सम्पत्ति का प्रकार	नवीन निर्धारण
आवासीय भवन (प्रतिमाह)	50/-
व्यावसायिक भवन (प्रतिमाह)	100/-
आवासीय सह व्यावसायिक भवन (प्रतिमाह)	150/-
होटल (प्रतिमाह)	200/-
विवाह घर (प्रति विवाह)	1200/-
विद्यालय भवन प्रायवेट (प्रतिमाह)	300/-
सब्जी मण्डी में सब्जी दुकान अस्थाई (प्रतिदिन)	10/-
सब्जी मण्डी में सब्जी दुकान स्थाई (प्रतिदिन)	30/-
शराब दुकान (प्रतिमाह)	500/-
प्रायवेट क्लीनिक (प्रतिमाह)	1500/-
अस्थाई ठेला गोमती से (हानिकारक कचरा फेकने से) (प्रतिदिन)	10/-

नोट : नवीन प्रस्तावित दरों पर दावा-आपत्तियां दिनांक 22.09.2025 तक नगर परिषद कार्यालय मनगवां जिला रीवा में स्वीकार (मान्य) की जायेगी.

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद मनगवाँ, जिला - रीवा (म.प्र.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर (ग्रामीण) जिला सतना (म0प्र0)

क्र./139/ अनु0अधि0/2024-25
सतना, दिनांक-22/8/25

जीतेन्द्र सिंह पिता स्व0 श्री दिनेश सिंह उम्र 41 वर्ष निवासी ग्रा.पो. बांधी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 .....**अपीलार्थी / आवेदक**

बनाम

1. राजकुमारी पत्नी स्व0 श्री तेजबहादुर सिंह- मृत
2. सावित्री देवी पुत्री स्व0 श्री तेजबहादुर सिंह- मृत द्वारा वारिसान - अ-दुस्यंत सिंह तनय श्री कुन्दन सिंह, ब-मोना सिंह पुत्री श्री कुन्दन सिंह, स-तृप्ती सिंह पुत्री श्री कुन्दन सिंह
3. दिनेश सिंह तनय स्व0 श्री तेजबहादुर सिंह- मृत द्वारा वारिसान- अ-सरस्वती सिंह पत्नी स्व0 श्री दिनेश सिंह, ब-सुनीता सिंह पुत्री स्व0 श्री दिनेश सिंह, स-नीलमणि सिंह पुत्री स्व0 श्री दिनेश सिंह, द-दीपसिंखा सिंह पुत्री स्व0 श्री दिनेश सिंह, य-सालिवाहन सिंह पुत्र स्व0 श्री दिनेश सिंह
4. आनंद सिंह तनय स्व0 श्री तेजबहादुर सिंह-मृत द्वारा मृतक वारिसान- अ-राज सिंह पुत्र स्व0 श्री आनंद सिंह, ब-गिरिराज सिंह पुत्र स्व0 श्री आनंद सिंह, स-मुक्ती सिंह पुत्री स्व0 श्री आनंद सिंह, द-अम्बर सिंह पुत्र स्व0 श्री आनंद सिंह, य-विन्दन सिंह पत्नी स्व0 श्री आनंद सिंह
5. कृष्णपाल सिंह तनय स्व0 श्री तेजबहादुर सिंह-मृत द्वारा विधिक वारिसान- अ-सरोज सिंह पत्नी स्व0 श्री कृष्णपाल सिंह, व-श्रीओम सिंह पुत्र स्व0 श्री कृष्णपाल सिंह, स-भावना सिंह पुत्री स्व0 श्री कृष्णपाल सिंह, द-अभिषेक सिंह पुत्र स्व0 श्री कृष्णपाल सिंह, य-अभिताभ सिंह पुत्र स्व0 श्री कृष्णपाल सिंह, र-श्वेता सिंह पुत्री स्व0 श्री कृष्णपाल सिंह
6. बीना देवी पुत्री स्व0 श्री तेजबहादुर सिंह
7. नीलू सिंह पुत्री स्व0 श्री तेजबहादुर सिंह

सभी निवासी ग्रा0पो0 बाँधी तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 ....**रेस्पा0गण/अनावेदकगण**

प्रेस विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सर्वसंबंधित जन को सूचित किया जाता है कि अपीलार्थी/आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त रैगॉव तहसील रघुराजनगर के रा0प्र0क्र0 0055/अ-6/2024-25 आदेश दिनांक 29/07/2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील प्रकरण में अनावेदक / रेस्पा0 क्र0 02 के वारिसान- (अ), (ब), (स), 03 के वारिसान (अ), (ब). (स) (द), (य), 04 के वारिसान-(स), की उपस्थिति हुई है। शेष अनावेदकगण / रेस्पा0गण को विधिवत सूचना तामील नही है।

इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक **23.09.2025** समय 12.00 बजे दोपहर स्वतः अथवा अभिभाशक के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष समर्थन करे। उपस्थित न होने व पक्ष समर्थन के अभाव में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। बाद म्याद कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

आज दिनांक 21.08.25 को मेरे हस्ताक्षर / पद मुद्रा से जारी किया गया।

पद मुद्रा

अनुविभागीय अधिकारी
रघुराजनगर(ग्रामीण)
जिला सतना (म.प्र.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर (ग्रामीण) जिला सतना (म0प्र0)

क्र./299/ अनु0अधि0/2024-25
सतना, दिनांक-22/8/25

जीतेन्द्र सिंह पिता स्व0 श्री दिनेश सिंह उम्र 41 वर्ष निवासी ग्रा.पो. बांधी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 .....**अपीलार्थी / आवेदक**

बनाम

1. राजकुमारी पत्नी स्व0 श्री तेजबहादुर सिंह- मृत
2. सावित्री देवी पुत्री स्व0 श्री तेजबहादुर सिंह- मृत द्वारा वारिसान - अ-दुस्यंत सिंह तनय श्री कुन्दन सिंह, ब-मोना सिंह पुत्री श्री कुन्दन सिंह, स-तृप्ती सिंह पुत्री श्री कुन्दन सिंह
3. दिनेश सिंह तनय स्व0 श्री तेजबहादुर सिंह- मृत द्वारा वारिसान- अ-सरस्वती सिंह पत्नी स्व0 श्री दिनेश सिंह, ब-सुनीता सिंह पुत्री स्व0 श्री दिनेश सिंह, स-नीलमणि सिंह पुत्री स्व0 श्री दिनेश सिंह, द-दीपसिंखा सिंह पुत्री स्व0 श्री दिनेश सिंह, य-सालिवाहन सिंह पुत्र स्व0 श्री दिनेश सिंह
4. आनंद सिंह तनय स्व0 श्री तेजबहादुर सिंह-मृत द्वारा मृतक वारिसान- अ-राज सिंह पुत्र स्व0 श्री आनंद सिंह, ब-गिरिराज सिंह पुत्र स्व0 श्री आनंद सिंह, स-मुक्ती सिंह पुत्री स्व0 श्री आनंद सिंह, द-अम्बर सिंह पुत्र स्व0 श्री आनंद सिंह, य-विन्दन सिंह पत्नी स्व0 श्री आनंद सिंह
5. कृष्णपाल सिंह तनय स्व0 श्री तेजबहादुर सिंह-मृत द्वारा विधिक वारिसान- अ-सरोज सिंह पत्नी स्व0 श्री कृष्णपाल सिंह, व-श्रीओम सिंह पुत्र स्व0 श्री कृष्णपाल सिंह, स-भावना सिंह पुत्री स्व0 श्री कृष्णपाल सिंह, द-अभिषेक सिंह पुत्र स्व0 श्री कृष्णपाल सिंह, य-अभिताभ सिंह पुत्र स्व0 श्री कृष्णपाल सिंह, र-श्वेता सिंह पुत्री स्व0 श्री कृष्णपाल सिंह
6. बीना देवी पुत्री स्व0 श्री तेजबहादुर सिंह
7. नीलू सिंह पुत्री स्व0 श्री तेजबहादुर सिंह

सभी निवासी ग्रा0पो0 बाँधी तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 ....**रेस्पा0गण/अनावेदकगण**

प्रेस विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सर्वसंबंधित जन को सूचित किया जाता है कि अपीलार्थी/आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त रैगॉव तहसील रघुराजनगर के रा0प्र0क्र0 0266/अ-6/2024-25 आदेश दिनांक 06/01/2025 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील प्रकरण में अनावेदक / रेस्पा0 क्र0 02 के वारिसान- (अ), (ब), 03 के वारिसान (अ), (ब), (स) (द), (य), 04 के वारिसान-(स), की उपस्थिति हुई है। शेष अनावेदकगण / रेस्पा0गण को विधिवत सूचना तामील नही है।

इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक **23.09.2025** समय 12.00 बजे दोपहर स्वतः अथवा अभिभाशक के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष समर्थन करे। उपस्थित न होने व पक्ष समर्थन के अभाव में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। बाद म्याद कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

आज दिनांक 21.08.25 को मेरे हस्ताक्षर / पद मुद्रा से जारी किया गया।

पद मुद्रा

अनुविभागीय अधिकारी
रघुराजनगर(ग्रामीण)
जिला सतना (म.प्र.)

**क्षेत्रीय कार